हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)

प्रेस नोट

No.BSEH/SRS/2024 **DATED- 06.09.2024**

NOTIFICATION 40 /2024

विषय– शैक्षिक सत्र 2023–2024 हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं के अंक अपलोड/रजिस्ट्रेशन करने बारे।

बोर्ड कार्यालय द्वारा 9वीं एवं 11वीं के अंक अपलोड/रजिस्ट्रेशन हेतु 04.09.2024 तक तिथि निर्धारित की गई थी, परन्तु काफी विद्यालयों द्वारा निर्धारित समयावधि में अंक अपलोड/रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

जिन विद्यालयों द्वारा छात्रों का 9वीं व 11वीं का परीक्षा परिणाम RLE किया गया है, उनसे बिना जुर्माना के एवं जिन विद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणाम RLE नहीं किया गया है उनसे 5000/–रू0 जुर्माना लेते हुए तथा जिन विद्यालयों द्वारा छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है ऐसे विद्यालयों से 1000/–रू0 प्रति छात्र जुर्माना व 150/–रू0 रजिस्ट्रेशन शुल्क/प्रश्न–पत्र शुल्क लेते हुए 09.09.2024 से 31.10.2024 तक का समय दिया जाता है। इस अवधि के दौरान विद्यालय मूल रिकॉर्ड (दाखिला खारिज रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, संबंधित रिजल्ट रजिस्टर, एनरोलमैंट सूची/रजिस्ट्रेशन सूची) सहित उपस्थित होकर परीक्षा शाखाओं में ऑफलाईन अंक अपलोड करवा सकते हैं तथा जिन विद्यालयों द्वारा किसी छात्र के अंक गलत अपलोड कर दिए गए हैं ऐसे विद्यालय प्रति छात्र 300/–रू0 शुद्धि शुल्क जमा करवाते हुए अकों में शुद्धि करवा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त जो विद्यालय निर्धारित समय अवधि तक अंक अपलोड नहीं करवाते हैं तो उन विद्यालयों के वार्षिक परीक्षा मार्च–2025 के आवेदन फॉर्म हेतु पोर्टल नहीं खोले जाएँगें जिसके लिए संबंधित विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अतः संबंधित प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक समय रहते अपने विद्यालय के संबंधित परीक्षार्थियों के अंक अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष